भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2623**
उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025
सोमवार, 26 फाल्गुन 1946 (शक)

**जेल में बंद कैदियों में उद्यमशीलता का विकास**

2623. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तेलंगाना में जेल में बंद कैदियों के बीच उद्यमशीलता के विकास के लिए कोई पहल कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितनी जेलों में यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है और तेलंगाना पर विशेष ध्यान देते हुए राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कैदियों की भागीदारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) जेलों में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त पहल के कार्यान्वयन के लिए इसकी शुरुआत से लेकर अब तक राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) सरकार देश भर में जेल संवासियों में कौशल और उद्यमशीलता विकास के लिए विभिन्न पहलों को लागू कर रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत, विशेष परियोजनाओं के माध्यम से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, ग्रामीण कारीगर, जेल में बंद कैदी, किशोर गृह के जेल संवासी आदि जैसे

हाशिए पर और कमजोर समूहों के कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। देश भर में जेल संवासियों के लिए पीएमकेवीवाई 2.0 के केंद्र प्रायोजित केंद्रीय प्रबंधित (सीएससीएम) घटक के तहत विशेष परियोजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण और उपयोग की गई निशि **अनुबंध-I** में दी गई है।

इसके अलावा पीएमकेवीवाई 4.0 में विशेष परियोजनाओं के तहत, निम्नलिखित राज्यों में जेल संवासियों के कौशल प्रशिक्षण हेतु लक्ष्य को मंजूरी दी गई है:

| **संस्था का नाम** | **परियोजना का प्रकार** | **सामाजिक/लक्ष्य समूह - महिला/आदिवासी आदि।** | **कार्यान्वयन के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **लक्ष्य संस्वीकृत** |
|---|---|---|---|---|
| कौशल विकास निदेशालय, त्रिपुरा | (एसटीटी/आरपीएल) | जेलों के संवासी | त्रिपुरा | 240 |
| कौशल विकास संस्थान (एसडीआई), विशाखापत्तनम | अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) | राजमुंदरी और विशाखापत्तनम जेलों के कैदी | आंध्र प्रदेश - विशाखापत्तनम | 1200 |
| महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास सोसाइटी (एमएसएसडीएस) | अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) | कलम्बा सेंट्रल जेल, कोल्हापुर के जेल संवासी | कोल्हापुर | 154 |

इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपने स्वायत्त संस्थान, अर्थात राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (नीसबड) के माध्यम से वर्ष 2022-24 के दौरान “जेल में बंद कैदियों में उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देना” नामक एक परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता-निर्माण, सलाह और इंक्यूबेशन सहायता के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में जेल संवासियों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। यह परियोजना तीन जेलों अर्थात नारी बंदी निकेतन, लखनऊ; मॉडल जेल, लखनऊ; और वाराणसी जेल में कार्यान्वित की जा रही है। यह कार्यक्रम आर्थिक पुनर्वास पर केंद्रित है, जिससे जेल संवासियों को रिहाई के बाद स्थायी आजीविका के अवसर विकसित करने में मदद मिलती है। परियोजना के प्रमुख हस्तक्षेपों में क्षमता-निर्माण, सलाह, मूल्यवर्धित कौशल प्रशिक्षण और जेलों के भीतर आजीविका इंक्यूबेशन सेंटर को मजबूत करना शामिल है। परियोजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:

i. उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता संबंधी जानकारी प्रदान करना;

ii. व्यवसायिक विचार सृजन और आकलन में सहायता करना;

iii. कौशल उन्नयन के लिए मूल्यवर्धित प्रशिक्षण प्रदान करना;
iv. लाभार्थियों को उत्पादन के बेहतर और उन्नत तकनीकी कौशल से लैस करना;
v. प्रशिक्षुओं को बैंकिंग प्रणाली और सरकारी सहायता इकोसिस्टम से अपने उद्‌यम शुरू करने के लिए वित्त तक पहुँचने में मदद करना;
vi. प्रशिक्षुओं को अपने उद्‌यम की स्थापना और संचालन के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना;
vii. स्व-रोजगार के अवसरों के माध्यम से प्रशिक्षुओं को आजीविका के अवसरों के लिए ज्ञान और सहायता प्रदान करना;
viii. लाभार्थियों को इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करना।

इस परियोजना को एमएसडीई द्‌वारा नीसबड को 1.54 करोड़ रुपए की कुल लागत पर संस्वीकृत किया गया है, जिसका लक्ष्य 600 जेल संवासियों को प्रशिक्षित करना है। अब तक इस परियोजना के तहत 0.91 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में 460 जेल संवासियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

**अनुबंध-I**

**"जेल में बंद कैदियों में उद्यमशीलता विकास" के संबंध में दिनांक 17.03.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2623 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

| क्र.सं. | राज्य | परियोजना का नाम | प्रशिक्षित/ उन्मुख | प्रमाणित | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | असम | श्री श्री जेल परियोजना | 493 | 341 | 17,90,641.14 |
| 2. | गुजरात | गुजरात, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में जेल कैदियों के लिए प्रशिक्षण | 2,463 | 1,638 | 33,10,214.06 |
| 3. | हरियाणा | पीएमकेवीवाई - विशेष परियोजना - सुनारिया जेल रोहतक | 396 | 314 | 23,32,413.44 |
| 4. | हरियाणा | श्री श्री जेल परियोजना | 612 | 455 | 36,37,550.62 |
| 5. | हरियाणा | गुजरात, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में जेल कैदियों के लिए प्रशिक्षण | 548 | 409 | 20,97,613.60 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | गुजरात, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में जेल कैदियों के लिए प्रशिक्षण | 113 | 98 | 11,08,539.60 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | श्री श्री जेल परियोजना | 473 | 249 | 30,50,093.18 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | गुजरात, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में जेल कैदियों के लिए प्रशिक्षण | 133 | 104 | 9,33,507.53 |
| 9. | झारखंड | श्री श्री जेल परियोजना | 209 | 181 | 22,13,463.98 |
| 10. | कर्नाटक | श्री श्री जेल परियोजना | 87 | 32 | 3,53,207.68 |
| 11. | मध्य प्रदेश | गुजरात, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में जेल कैदियों के लिए प्रशिक्षण | 261 | 241 | 29,07,033.60 |
| 12. | महाराष्ट्र | श्री श्री जेल परियोजना | 146 | 35 | 4,96,569.64 |
| 13. | पंजाब | गुजरात, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में जेल कैदियों के लिए प्रशिक्षण | 1,359 | 1,024 | 52,42,603.31 |
| | | **योग** | **7293** | **5121** | **2,94,73,451.38** |

*****